

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-सा.-27112020-223378
SG-DL-W-27112020-223378

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8]	दिल्ली, नवम्बर 20—नवम्बर 26, 2020, बृहस्पतिवार/कार्तिक 29—अग्रहायण 5, 1942 [रा.रा.क्षे.दि.सं. 205, 206
No. 8]	DELHI, NOVEMBER 20—NOVEMBER 26, 2020, THURSDAY/KARTIKA 29—AGRAHAYANA 5, 1942 [N.C.T.D. No. 205,206

भाग —IV
PART —IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों
की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय पंजीयक सहायक समितियाँ
अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

फा. सं. 6/14/85/स्था0/सह0/पार्ट फाईल/1367—1374.—दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सहायक समितियाँ अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम 2004 का 3) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित दिल्ली सहायक समितियाँ नियमावली, 2007 के नियम 3 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अशफाक अहमद अर्फी, सहायक पंजीयक सहायक समितियाँ को उपरोक्त अधिनियम के अधीन कार्य को निपटाने के लिए उपरोक्त पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से पंजीयक की सहायतार्थ नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश एवं नाम से
रंजीत सिंह, अतिरिक्त पंजीयक

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES**NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd November, 2020

No. F.6/14/85/Estt./Coop./PF/1367-1374.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) read with Rule 3(1) of DCS Rules 2007, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Ashfaque Ahmed Arfi as Assistant Registrar Cooperative Societies, Delhi to assist the Registrar in discharging his duties and functions under the aforesaid Act and Rules with effect from the date he assumed charge of the said office.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

RANJEET SINGH, Addl. Rcs

अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

फा.सं.9(38)68/स्था0/सह0/पार्ट फाईल.V/1375-1384.—दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम 2004 का 3) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित दिल्ली सहकारी समितियाँ नियमावली, 2007 के नियम 3 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पद्माकर राम त्रिपाठी संयुक्त पंजीयक सहकारी समितियाँ को उपरोक्त अधिनियम के अधीन कार्य को निपटाने के लिए उपरोक्त पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से पंजीयक की सहायतार्थ नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश एवं नाम से

रंजीत सिंह, अतिरिक्त पंजीयक

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd November, 2020

No. F.9(38)68/Estt./Coop./Vol.V/1375-1384.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) read with Rule 3(1) of DCS Rules 2007, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Padmakar Ram Tripathi, as Joint Registrar Cooperative Societies, Delhi to assist the Registrar in discharging his duties and functions under the aforesaid Act and Rules with effect from the date he assumed charge of the said office.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

RANJEET SINGH, Addl. Rcs